भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 351
9 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- शीत भंडार सुविधाओं का अभाव
351. श्री एस. निरंजन रेड्डी:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में शीत भंडारों की आवश्यकता 35 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की क्षमता लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन है;
(ख) यदि हां, तो अनुमोदित परियोजनाओं के पूरा होने और भंडारण क्षमता को वांछित स्तर तक बढ़ाये जाने तक यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं कि कृषि उपज बर्बाद न हो; और
(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों से शीत भंडार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण फलों, सब्जियों, अनाज और नकदी फसल के नुकसान का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) जी हां, सरकार ऐसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और उन्हें देश में अपनी उपज कम कीमत पर बेचने से बचाया जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत शीतागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक मांग/उद्यमी संचालित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीतागारों और नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानियों को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और परिरक्षण अवसंरचना के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए 50% की दर से और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के अध्यधीन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमश 50% और 75% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्टैंडअलोन शीतागारों को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) शुरू किया है। एआईएफ के तहत, शीतागार की स्थापना सहित फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर 2.00 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों से शीतागार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण फलों, सब्जियों, अनाजों और नकदी फसलों की हानि का आकलन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किया गया एक अध्ययन 2015 में प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार, क्रशिंग, सार्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग में दबाव और तुड़ाई के दौरान नुकसान के कारण गिरने,

सड़ने, परिवहन, चोटों और तुड़ाई के दौरान क्षति के कारण, चयनित फसलों में मात्रात्मक फसल की मात्रा और कटाई के बाद के नुकसान 4.65% से 5.99% (अनाज), 6.36% से 8.41% (दालें), 3.08% से 9.96% (तिलहन), 6.70% से 15.88% (फल), 4.58% से 12.44% (सब्जियां), 5.23% से 10.52% (मछली), 2.71% (मांस) और 0.92% (दूध) की सीमा में पाए गए।

*****